प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक-1607 /2006</u>

याचिकाकर्तागण- **मोहम्मद रियाज़ खान व अन्य**

<u>बनाम</u>

उत्तरदातागण- **छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु दिनांक 17.6.2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

(धीरेन्द्र मिश्रा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक-1607 /2006

याचिकाकर्तागण	1	मोहम्मद रियाज़ खान, पिता स्वर्गीय मोहम्मद सकूर खान, आयु लगभग 62 वर्ष, व्यवसाय-पशु व्यापारी, निवासी मानपुर, तहसील एवं थाना सूरजपुर, जिला अंबिकापुर (छ. ग.)।
	2	मोहम्मद इरफान खान, पिता मजूबुल्लाह खान, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम कोटमी, थाना पेंड्रा, जिला बिलासपुर (छ. ग.)।
	3	घनश्याम, पिता झन्नूलाल लगभग, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी मुवारपारा,मरवाही, तहसील गोरेला, जिला बिलासपुर, (छ.ग.)।
	4	मोबिल खान,पिता मोतीज़ खान, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी पेंड्रा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
	5	शकील खान,पिता मोतीज़ खान, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी पेंड्रा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
	6	अंसार खान, पिता अख्तर खान, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम जशीमोड़, थाना भटगांव, तहसील सूरजपुर,जिला सरगुजा।
	7	तनवीर खान, पिता मोतिज खान, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी पेंड्रा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) ।
	8	इबरार खान, पिता बशीर खान, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम जशीमोड़, थाना- भटगांव, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा।
बनाम		
उत्तरदातागण	1	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

		सचिव, गृह मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर ।
	2	**कलेक्टर, सरगुजा।**
	3	**अनुविभागीय अधिकारी, जिला सरगुजा।**
	4	**पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा।**
	5	**थाना प्रभारी, थाना रामानुजनगर,जिला, सरगुजा (छ.ग.)**
	6	**एस.ए. भगत, पिता नामालूम, पुलिस विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत, दिनाँक 28.12.2003 को थाना रामानुजनगर मे थाना प्रभारी, के पद पर पदस्थ, द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा।**
	7	**राजलाल राजवाड़े, पिता नामालूम, निवासी ग्राम सुरतापुडी, जिला सरगुजा (छ.ग.)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति

याचिककर्तागण की ओर से- श्री वी.सी. ओत्तलवार, श्री राजीव श्रीवास्तव और श्री आई.एस साहू, अधिवक्तागण

उत्तरदाता क्रमांक 1 से 5 की ओर से- श्री विनय हरित, उप-शासकीय अधिवक्ता ।

उत्तरदाता क्रमांक *7* की ओर से- सुश्री शर्मिला सिंघई, अधिवक्ता।

हस्तक्षेपकर्ता रामनंदन सिंह की ओर से- श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता

आदेश

(दिनांक 17.6.2008 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा के अनुसार-

1. संक्षेप में, याचिकाकर्तागण का मामला यह है कि वे पशु व्यापार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते थे। वे अलग अलग पशु बाजारों से पशुओं को खरीदते थे और उन्हें सूरजपुर के साप्ताहिक बाजार में बेचते थे। याचिकाकर्तागण ने दिसंबर, 2003 में अलग अलग साप्ताहिक पशु बाजारों से 255 बैल खरीदे और खरीदे गए बैलों के साथ ग्राम मानपुर गये। वे 28 और 29 दिसंबर, 2003 की दरमियानी रात में को मोहनपुर गाँव में रुके । रात लगभग 1:00 बजे, उत्तरदाता क्रमांक 7 के नेतृत्व में 250 से 260 लोगों की एक भीड़ उत्तरदाता क्रमांक- 6 थाना प्रभारी, रामानुजनगर के साथ, वहाँ पहुंची और याचिकाकर्तागण पर आरोप लगाया कि वे पशुओं को वध के उद्देश्य से ले जा रहे हैं। उपरोक्त व्यक्ति कह रहे थे कि वे राज्य के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्य हैं और वे पशुओं का वध नहीं होने देंगे क्योंकि यह एक अपराध है। याचिककर्तागण ने इस बात से इनकार किया कि पशुओं को वध के लिए ले जाया जा रहा है और अभिवाक किया कि वे पशुओं को बेचने के लिये साप्ताहिक बाजार में ले जा रहे थे क्योंकि उनका उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जायेगा। हालाँकि, उनके द्वारा दिया गया तर्क और इनकार किया जाना व्यर्थ हो गया और उत्तरदाता क्रमांक-6 के द्वारा उन्हें थाना रामानुजनगर ले जाया गया जहाँ उन्हें दिनाँक 3.1.2004 तक अवैध रूप से निरुद्ध रखा गया। पुलिस ने उन्हें दिनांक 3.1.2004 को रिहा कर दिया क्योंकि पूछताछ के बाद उनके विरुद्ध किसी भी अपराध का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालाँकि, उत्तरदाता क्रमांक-6 और 7 की सक्रिय मिलीभगत से ग्रामीण याचिकाकर्तागण के पशुओं को अपने साथ ले गये।

2. याचिकाकर्तागण ने पशुओं की अंतरिम अभिरक्षा हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया परंतु उनका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पुलिस ने जानवरों को जब्त नहीं किया था। याचिककर्तागण ने अपने पशुओं को बेचने की अनुमति के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी, सूरजपुर के समक्ष एक और आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन को प्रकरण क्रमांक 141/04 के रूप में पंजीकृत करने के बाद, आदेश दिनांक 4.2.2004 (अनुलग्नक पी-2) के द्वारा थाना प्रभारी, थाना रामानुजनगर से प्रतिवेदन मंगाया गया इसके बाद, सूरजपुर के उप-खंड मजिस्ट्रेट ने मामले को जिला दंडाधिकारी के पास भेजा, जिन्होंने दिनांक 28.4.2004 के आदेश (अनुलग्नक पी-3) के तहत याचिककर्तागण को पशुओं को बेचने की अनुमति इस शर्त पर दी कि पशुओं को सरगुजा जिले के भीतर ही बेचा जाये और जिन व्यक्तियों को पशु बेचे जा रहे हैं उनकी सूची अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट, सूरजपुर द्वारा पारित आदेश के आधार पर, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा याचिककर्तागण को पशुओं को बेचने की अनुमति प्रदान की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरदाता क्रमांक-7 ने अपने आवेदन दिनांक 5.10.2004 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी से बिक्री की अनुमति देने वाले आदेश का पुनर्विलोकन किये

जाने का अनुरोध किया। उत्तरदाता क्रमांक-7 के आवेदन पर, थाना रामानुजनगर से प्रतिवेदन मंगाया गया और उसके बाद, उनके द्वारा पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.1.2005 को अस्वीकार कर दिया गया। यह भी अवलोकित किया गया कि जाँच के बाद यह पाया गया कि याचिककर्तागण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है तथा वे पशुओं को बेचने के हकदार हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद भी,थाना रामानुजनगर के थाना प्रभारी द्वारा याचिककर्तागण को न तो उनके पशुओं को वापस किया गया और न ही उनके द्वारा उत्तरदाता क्रमांक-7 और अन्य ग्रामीणों के विरुद्ध, जिन्होंने याचिककर्तागण के पशुओं को अपने पास रखा था, के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दिनांक 6.10.2004 को थाना रामानुजनगर के थाना प्रभारी, ने अनुविभागीय अधिकारी, सूरजपुर को एक ज्ञापन भेजा जिसमें उल्लेख किया गया कि जिला दंडाधिकारी के आदेश दिनांक 28.4.2004 (अनुलग्नक-पी-3) के अनुपालन में पशुओं को उनके स्वामियों को वापस करने की कार्यवाही शुरू की गई थी परन्तु 'विश्व हिंदू परिषद' के सदस्यों और सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के कारण आदेश के अनुपालन में विलंब हो रहा है। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत किसी भी अपराध के सम्बन्ध में अभी तक कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है। पशुओं को जब्त किया गया और ग्रामीणों, जिनकी संख्या 130 है, द्वारा उनका दुरुपयोग किया गया, उन्होंने

पशुओं को आपस में बाँट लिया। थाना प्रभारी,थाना रामानुजनगर, ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.5.2004 में जिला मजिस्ट्रेट को यह भी बताया कि याचिककर्तागण 255 बैलों को विधिक रूप से खरीदकर बिक्री के लिए गढ़वा की ओर ले जा रहे थे, परंतु राजलाल राजवाड़े के नेतृत्व में ग्रामीणों ने याचिककर्तागण के पशुओं को जब्त कर लिया और उन्होंने पशुओं को आपस में बांट लिया। मामले की जाँच जारी है।

5. याचिककर्तागण की व्यथा यह है कि उत्तरदाता क्रमांक- 6 की सक्रिय मिलीभगत से उत्तरदाता क्रमांक- 7 के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके पशुओं का अवैध रूप से लूट कारित किया गया। चूँकि इस अवैध कृत्य के अपराधी सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं और उन्हें जिले के प्रभावशाली व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और याचिककर्तागण को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उत्तरदाता क्रमांक- 1 से 5 ने अपने संयुक्त जबाब में कथन किया है कि उत्तरदाता क्रमांक-7 की शिकायत पर कि याचिककर्तागण मवेशियों को वध करने के लिए ले जा रहे हैं, के आधार पर याचिककर्तागण के विरुद्ध अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत अपराध दर्ज किया गया था परंतु मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने पाया कि याचिककर्तागण द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। कुछ पशु, जिनकी पहचान याचिककर्तागण द्वारा विधिवत की गई थी, उन्हें वापस कर दिया गया था। चूँकि याचिकाकर्तागण अन्य पशुओं की पहचान नहीं कर पाए, इसलिए पशु उन्हें नहीं सौंपे

जा सके। यह तथ्य कि याचिककर्तागण ने पशुओं को खरीदा था, जैसा कि याचिका के कंडिका 5.2 में विस्तृत रूप से बताया गया है और यह तथ्य कि पुलिस ने पशुओं को जब्त नहीं किया, विवादित नहीं है

7. उत्तरदाता राज्य द्वारा उपरोक्त जबाब दावा प्रस्तुत किए जाने के बाद, इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.9.2007 के द्वारा उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया कि वे निर्देश प्राप्त करें कि जब यह पाया गया है कि ये पशु कृषि कार्यो के प्रयोजन हेतु खरीदे गए थे और याचिककर्तागण उन्हें बेचने के लिए सूरजपुर ले जा रहे थे, तब सभी पशु याचिककर्तागण को वापस क्यों नहीं किये गये। दिनांक 18.9.07 के आदेश का पालन करने के लिए उत्तरवादीगण को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। दिनांक 15.10.2007 को राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर उचित कार्यवाही करने और उचित शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। दिनांक 16.11.2007 को उत्तदाता क्रमांक- 1 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर दिनांक 18.9.07 के आदेश का पालन करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में चार सप्ताह का समय दिया गया। उत्तरदाता राज्य प्राधिकारियों को दिनांक 18.9.07 के आदेश का पालन करने के लिए कई अवसर दिए जाने के बावजूद, दिनांक 17.12.07 तक इसका पालन नहीं किया गया और निर्देश प्राप्त करने और शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिये जाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया गया और 5,000/- रुपये की शास्ति का भुगतान करने पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जो पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर से वसूली योग्य था, दो सप्ताह का समय प्रदान किया गया।

8. उत्तरदाता क्रमांक-7 ने अपने पृथक प्रति-शपथपत्र में स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 30.12.2003 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्तागण वध के उद्देश्य से 276 पशुओं को ले जा रहे थे, जिस पर अधिनियम की धारा 11 (1) (क) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। अंतरिम अभिरक्षा हेतु उनके आवेदन को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 3.1.2004 (अनुलग्नक आर 7/1) द्वारा खारिज कर दिया। यह भी कथन किया गया कि थाना रामानुजनगर के थाना प्रभारी ने दिनांक 5.11.2007 को एक ज्ञापन जारी कर निर्देश दिया कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार, जानवरों को दो सप्ताह के भीतर याचिककर्तागण को सौंप दिया जाए।इस ज्ञापन के विस्तृत जबाब (अनुलग्नक आर 7-3) में, उत्तरदाता क्रमांक- 7 ने दावा किया कि प्रश्नगत पशु किसी अन्य व्यक्ति के हैं। याचिकाकर्तागण ग्राम सुरता के निवासी हैं। वे अपने रिश्तेदारों के माध्यम से मवेशियों को बूचड़खाने भेज रहे थे। याचिकाकर्ता क्रमांक-1 रियाज़ खान द्वारा ग्रामीणों से बलपूर्वक मवेशियों को लूटने की कोशिश किया गया था, जिसकी विधिवत सूचना पुलिस को दी गई और अपराध पंजीबद्ध किया गया था। याचिकाकर्तागण ने आरोप लगाया है कि उत्तरदाता के नेतृत्व में भीड़ ने मवेशियों की लूट कारित की, हालाँकि, उन्होंने इस सम्बन्ध में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्तागण पशुओं के स्वामी हैं। याचिका में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवादित तथ्य शामिल हैं और इनका निराकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका प्रस्तुत कर नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्तागण मवेशियों को बूचड़खाने ले जा रहे थे इसलिए, ग्रामीणों ने धार्मिक भावना के कारण उन्हें रोका और मवेशियों को सुरक्षित रखने हेतु आपस में बाँट लिया। इस कथन से, कि याचिकाकर्तागण ने दिसंबर, 2003 के महीने में साप्ताहिक बाजार से 255 बैल खरीदे थे, इंकार किया गया है।

9. दिनांक 17.12.2007 के आदेश के अनुपालन में उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 की ओर से दिनांक 3.1.2008 को एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि उन्होंने ग्रामीणों से पशुओं को प्राप्त करने का प्रयास किया ताकि उनका कब्ज़ा याचिकाकर्तागण को वापस मिल सके, परन्तु उन्हें ग्रामीणों, जिन्होंने पशुओं पर याचिकाकर्तागण के स्वामित्व का विरोध किया है, के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। आगे बताया गया कि ग्रामीणों के प्रतिरोध के बावजूद, वे गाँव से 165 मवेशियों को खोजने और जब्त करने में सफल रहे और उन्हें ग्राम चठिरमा, जिला सूरजपुर स्थित गौशाला में जमा जमा करा दिया । याचिकाकर्ता क्रमांक- 1 को उपरोक्त तथ्य से अवगत कराया गया था, फिर भी याचिकाकर्ता क्रमांक- 1 सूचना की तामिली से बचता रहा। आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि गौशाला प्रबंधन द्वारा मवेशियों के चारे और रखरखाव के लिए प्रतिदिन की दर से प्रति मवेशी 50 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। जब्त किए गए 165 मवेशियों के अलावा, ग्रामीणों ने 65 बैलों और 13 गायों के मृत होने की सूचना दी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है, और अपने दावे के समर्थन में उन्होंने दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किया हैं। याचिकाकर्तागण द्वारा 9 मवेशियों को बलपूर्वक ले जाया गया है।

10. इस बीच, दिनांक 14.1.2008 को ग्राम सुराता के रामानंद सिंह द्वारा याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14.1.2008 को मामले की सुनवाई की गई और दिनांक 17.12.2007 के आदेश के अनुपालन में राज्य द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों और हस्तक्षेप की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन में उल्लिखित तथ्यों पर विचार करने के बाद, उत्तरदातागण को उन ग्रामीणों, जिनके कब्जे से मवेशियों को जब्त और मृत घोषित किया गया था, का विवरण देते हुए शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 द्वारा दिनांक 18.1.2008, 25.1.2008, 18.3.2008 और 30.3.2008 को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. सुश्री काजल मिश्रा,अधिवक्ता को न्यायालय की सहायता के लिए 'न्याय मित्र ' नियुक्त किया गया, जिन्होंने दिनांक 4.3.2008 को अपना लिखित तर्क प्रस्तुत किया।

12. संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों, इस न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रतिवेदनों के आधार पर, निर्विवाद तथ्यों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:-

• याचिककर्तागण अपनी आजीविका कमाने के लिए पशु व्यापार सम्बन्धी व्यवसाय करते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिसंबर 2003 में कुल 255 पशु खरीदे, जैसा कि याचिका के कंडिका 5.2 में विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके साथ थाना रामानुजनगर के थाना प्रभारी भी थे।

• 28 और 29 दिसंबर, 2003 की दरमियानी रात में लगभग 1.00 बजे उत्तरदाता क्रमांक-7 के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण ग्राम मोहनपुर पहुँचे, जहाँ याचिककर्तागण पशुओं के साथ ठहरे हुये थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• उत्तरदाता क्रमांक-7 की शिकायत पर अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत अपराध दर्ज किया गया और उत्तरदाता क्रमांक-6 याचिककर्तागण को थाना ले गये और दिनांक 3.1.2004 तक उन्हें निरुद्ध रखा।

• रिहा होने के बाद, याचिककर्तागण को जब उनके पशु उस स्थान पर नहीं मिले जहाँ उन्होंने उन्हें छोड़ा था, तब उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामानुजनगर के समक्ष सुपुर्दनामा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु, उनके आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि पशुओं को पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया था।

• दिनांक 4.2.2004 को याचिकाकर्तागण ने अपने पशुओं को बेचने की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी, सूरजपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया।

याचिकाकर्तागण के आवेदन पर, थाना प्रभारी, रामानुजनगर से प्रतिवेदन मंगाया गया।

• याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के विरुद्ध शिवनाथ राजवाड़े द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया ।

• अनुविभागीय अधिकारी ने मामले को जिला दंडाधिकारी, अंबिकापुर को प्रेषित किया, जिन्होंने दिनांक 28.4.2004 के आदेश (अनुलग्नक पी-3) के तहत, थाना प्रभारी, रामानुजनगर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करते हुए पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पशुओं को विधिक रूप से ख़रीदा गया था, उन्हें बिक्री के उद्देश्य से सूरजपुर तहसील लाया गया था, पशुओं की खरीदी को पेंड्रा से विधिवत सत्यापित किया गया है, ग्रामीणों द्वारा पशुओं को उनकी सुरक्षा और रखरखाव के लिए निरुद्ध रखा गया था इसलिए, यदि याचिकाकर्तागण को पशुओं को बेचने की अनुमति सूरजपुर तहसील के भीतर दी जाती है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• इसके बाद, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5.5.2004 के आदेश द्वारा अनुमति प्रदान किया गया।

• थाना प्रभारी, थाना रामानुजनगर ने अनुविभागीय अधिकारी के ज्ञापन दिनांक 5.10.2004 के प्रत्युत्तर में राजलाल राजवाड़े की आपत्तियों के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बताया कि जिलादंडाधिकारी एवं अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उनके द्वारा ग्रामीणों से पशु वापस लेकर याचिकाकर्तागण को सौंपने की कार्यवाही शुरू किया गया और ग्रामीण पशु वापस करने के लिए तैयार भी थे परन्तु विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेताओं और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के कारण अनुपालन में देरी हुई है।

• चिकित्सीय परीक्षण में पशु स्वस्थ और कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त पाये गये थे और अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। आपत्तिकर्तागण जिनकी संख्या 130 है, ने सभी पशुओं को परिबद्ध कर लिया था और आपस में वितरित कर लिया था। इस प्रकार, पशुओं के स्वामियों के साथ स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• थाना प्रभारी, थाना रामानुजनगर ने जिला दंडाधिकारी, सरगुजा को भेजे गये अपने पृथक प्रतिवेदन दिनांक 10.5.2004 में कुछ ग्रामीणों के नाम बताए हैं जिन्होंने याचिकाकर्तागण के पशुओं को रखा है।

• पुलिस के हस्तक्षेप से नौ पशुओं को ग्रामीणों से लेकर याचिकाकर्तागण को वापस कर दिया गया था ।

• उत्तरदाता क्रमांक-7 ने थाना प्रभारी, रामानुजनगर को संबोधित अपने आवेदन दिनांक 30.12.2003 में आरोप लगाया कि याचिकाकर्तागण 276 पशुओं को बूचड़खाने ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने उपरोक्त पशुओं को उनकी सुरक्षा और

रखरखाव के लिए आपस में वितरित कर लिया तथा उनके द्वारा न्यायालय द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय का पालन किया जायेगा। उपरोक्त शिकायत के आधार पर रिपोर्ट अनुलग्नक आर-3 दर्ज किया गया । उत्तरदाता क्रमांक-7 ने भी अपने जबाबदावा में उपरोक्त तथ्य को स्वीकार किया है।

• जब पशु याचिकाकर्तागण को वापस नहीं किए जा सके, तब याचिकाकर्तागण द्वारा दिनांक 28.3.2006 को वर्तमान याचिका प्रस्तुत किया गया।

• उत्तरदाता क्रमांक 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.9.2007 के द्वारा उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 से पूछा कि याचिकाकर्तागण के पशु, जिन्हें कृषि प्रयोजनों के लिए बिक्री हेतु सूरजपुर ले जाया जा रहा था, उन्हें वापस क्यों नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु कई बार स्थगन लेने के बाद, उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 द्वारा दिनांक 3.1.2008 को एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि पशुओं का कब्ज़ा वापस दिलाये जाने के दौरान उन्हें ग्रामीणों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्तागण ने भी अधिकारियों का कोई सहयोग नहीं किया, हालाँकि, वे विभिन्न ग्रामीणों से 165 बैलों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने में सफल रहे, जिन्हें उन्होंने सूरजपुर जिले स्थित चठिरमा गौशाला में जमा कर दिया है। याचिकाकर्तागण को उपरोक्त जब्ती के बारे में सूचित किया गया था, परन्तु, वे नोटिस की तामील से बचते रहे

, जिसकी तामिली नोटिस उनके घरों में चस्पा कर कराया गया। यह भी बताया गया कि पशुओं के रखरखाव के लिए गौशाला प्रति पशु प्रतिदिन 50 रुपये का शुल्क ले रही है। यह भी तर्क दिया गया कि उपरोक्त 165 बैलों को छोड़कर, 65 सांड और 13 गायों के मृत होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई जिन्होंने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज़ी प्रमाण भी प्रस्तुत किये । यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता क्रमांक- 1 द्वारा नौ बैल ले जाया गया और सात बैल उन्हें पहले ही वापस कर दिये गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• ग्राम सुरता के रामनंदिन सिंह ने भी अपने मध्यक्षेप आवेदन में यह स्वीकार किया है कि याचिकाकर्तागण से पशुओं की जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने सद्भावनापूर्वक पशुओं को अपने साथ ले गए थे और आज तक वे पशुओं का पालन-पोषण कर रहे हैं। याचिकाकर्तागण पशु व्यापारी नहीं हैं, वे पशुओं को वध करने के लिए ले जा रहे थे, धार्मिक विश्वास के कारण ग्रामीणों ने याचिकाकर्तागण को रोका और मवेशियों को आपस में बाँट लिया था।

• इस न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 द्वारा भी दिनांक 18.1.2008 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें 95 ग्रामीणों के नाम हैं जिनके कब्जे से 28, 29 और 30 दिसंबर, 2007 को 1 या 2 बैल बरामद किए गए थे। सभी पशुओं को गौशाला में जमा किया गया था। प्रतिवेदन में पशुओं की जाँच रिपोर्ट, जो पशु चिकित्सक द्वारा दिया गया था, भी शामिल है।

प्रतिवेदन में 54 ग्रामीणों के नाम भी हैं जिनके अभिरक्षा में विभिन्न तिथियों पर 65 बैलों के मृत होने की सूचना मिली थी। प्रतिवेदन में मृत पशुओं का पंचनामा भी शामिल है। इसमें यह भी उल्लेख है कि ये बैल उन्हें अंतरिम अभिरक्षा पर प्राप्त हुए थे। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक आर 1-15 में 12 बैलों और 4 गायों की सूची है जिन्हें पुलिस के हस्तक्षेप से ग्रामीणों ने याचिकाकर्तागण को वापस कर दिया था जबकि, अनुलग्नक आर 1-16, में 22 पशुओं की सूची है जिनकी मृत्यु चठिरमा गौशाला में हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 की उपरोक्त प्रतिवेदन दिनांक 17.1.2008 और 25.1.2008 के प्रत्युत्तर दिनांक 28.1.2008 में याचिकाकर्ता ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें 164 पशुओं को अपने कब्ज़े में लेने के लिए अधिकारियों से कोई नोटिस मिला था। पशुओं के चिकित्सा प्रमाण पत्र कूटरचित प्रमाण पत्र हैं और इन्हें केवल औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए तैयार किया गया है। याचिकाकर्तागण के बैल जिनकी औसत आयु 5 वर्ष थी, कृषि प्रायोजन हेतु खरीदे गये थे। याचिकाकर्तागण को पिछले पांच वर्षों से अर्थात वह मुख्य समयावधि जब ये पशु कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोगी होते,उपरोक्त पशुओं के उपयोग से वंचित रखा गया था, समय बीतने के साथ याचिकाकर्तागण के पशुओं ने अपनी अधिकतम क्षमता खो दी है और उनका बाजार मूल्य कम हो गया है।

• विद्वान न्यायमित्र ने दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जाँच के बाद पाया है कि पशु चिकित्सक द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया वास्तविक प्रतीत नहीं होते हैं और इन्हें केवल औपचारिकताएँ पूर्ण करने के लिए तैयार किया गया है और ये प्रमाण पत्र कूटरचित प्रतीत होते हैं। प्रतिवेदन में ज़ब्ती की अवैधता पर भी ज़ोर दिया गया है और यह भी बताया गया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्तागण के पशुओं का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया और अपराध दर्ज करने के बाद कोई जाँच शुरू नहीं किया गया और न ही कोई आरोप पत्र प्रस्तुत की गई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• कलेक्टर सरगुजा द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 19.03.2008 के अनुसार, उप निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, सरगुजा ने तीन पशु चिकित्सकों की एक समिति का गठन किया। समिति के सदस्यों द्वारा चठिरमा स्थित गौशाला में जीवित बचे 86 पशुओं का जाँच किया गया और प्रत्येक पशु के निर्धारित मूल्य सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने दिनांक 11.3.2008 को अपना प्रतिवेदन (अनुलग्नक आर 1-25) प्रस्तुत किया और बताया कि केवल 86 पशु जिनकी कीमत लगभग 2,21,300/- रुपये थी, गौशाला में परिबद्ध किये गये थे, जबकि गौशाला में रखे जाने के दौरान 79 पशु मृत पाए गए थे। उप-निदेशक ने समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अपने प्रतिवेदन दिनांक 16.3.2008 में

जीवित पशुओं की कीमत 2,21,300/-रुपये और मृत पशुओं की कीमत 2,600/- रुपये प्रति पशु की दर से 2,05,400/- रुपये आंकी थी।

• प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त मूल्यांकन निदेशालय, पशु चिकित्सा सेवा द्वारा जारी आदेश दिनांक 6.11.2007 (अनुलग्नक आर1-24) के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य और शासकीय दरों पर आधारित है।

13. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले के निर्विवाद तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता क्रमांक-7 की झूठी शिकायत के आधार पर याचिकाकर्तागण को दिनांक 29.12.2003 से दिनांक 3.1.2004 तक अवैध रूप से थाने में निरुद्ध रखा गया। उत्तरदाता क्रमांक-6 की सक्रिय मिली भगत से उत्तरदाता क्रमांक-7 के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा याचिकाकर्तागण के पशुओं को लूटा गया। याचिकाकर्तागण को थाने में अवैध रूप से निरुद्ध रखने के दौरान, अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करने के बाद भी पशुओं को जप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई, अपितु इसके विपरीत, याचिकाकर्तागण के पशुओं को ले जाने में उत्तरदाता क्रमांक-6 द्वारा ग्रामीणों को सहायता प्रदान किया गया । पुलिस याचिकाकर्तागण के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कि उनके द्वारा पशुओं को बूचड़खाने ले जाने के लिए खरीदा गया था या उनके द्वारा खरीदे गए पशुओं के साथ क्रूरता कारित किया गया था, कोई साक्ष्य एकत्र नहीं कर सकी । इस बात पर विचार करते हुए कि अधिनियम के तहत किसी भी दांडिक अपराध का कोई साक्ष्य नहीं था, जिला दंडाधिकारी ने याचिकाकर्तागण को उनको पशुओं को सूरजपुर तहसील में बेचने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की अनुमति दिया और इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। हालाँकि, जिला दंडाधिकारी और थाना प्रभारी के निर्देशों का पुलिस अधिकारियों द्वारा जानबूझकर पालन नहीं किया गया क्योंकि उत्तरदाता क्रमांक-7 और ग्रामीण जो उनके समर्थक थे, ने याचिकाकर्तागण के पशुओं पर अवैध कब्ज़ा बनाये रखा था और पुलिस अधिकारियों/जिला प्रशासन द्वारा उन बदमाशों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई जो वास्तव में याचिकाकर्तागण के पशुओं के लूट के अपराध में संलिप्त थे। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्तागण को पशुओं का कब्ज़ा वापस करने हेतु इस न्यायालय द्वारा विशिष्ट निर्देश दिनांक 18.9.2007 को दिया गया था जिसका लगभग तीन माह से भी अधिक समय बाद भी, पालन नहीं किया गया और शपथ पत्र में कहा गया है कि ग्रामीणों के कड़े प्रतिरोध के कारण अधिकारीगण निर्देशों का पालन नहीं कर सके। हालाँकि, आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। उत्तरदाता क्रमांक-7 और हस्तक्षेपकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष अपने अलग-अलग शपथपत्रों में स्वीकार किया है कि उत्तरदाता क्रमांक- 7 के नेतृत्व में ग्रामीणों ने याचिकाकर्तागण के पशुओं को ले लिया और उनकी सुरक्षा और रखरखाव के लिए उन्हें आपस में बाँट लिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि याचिकाकर्तागण पशुओं को बूचड़खाने ले जा रहे हैं। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से याचिकाकर्तागण के पशुओं को ग्रामीणों ने लूटा था। पुलिस अधिकारियों की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निष्क्रियता और उदासीनता इसके बाद भी जारी रही और याचिकाकर्तागण को पिछले साढ़े चार वर्षों से अपने पशुओं जो उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है, से वंचित रखा गया। यह तथ्य कि पुलिस अधिकारीगण द्वारा ग्रामीणों से 165 पशुओं को तब बरामद किया गया जब इस न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर पर दिनांक 17.12. 2007 को पारित आदेश का पालन न करने के लिए 5,000/- रुपये की शास्ति अधिरोपित की, पशुओं को 28, 29 और 30 दिसंबर, 2007 को बरामद किया गया, जो यह स्थापित करता है कि वास्तव में पुलिस अधिकारियों का बदमाशों के साथ मिलीभगत था इस कारण वे याचिकाकर्तागण के पशुओं को उनसे बरामद नहीं कर रहे थे और बदमाश अवैध रूप से उनके पशुओं को रखे थे। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पशु चिकित्सकों की समिति और उप निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, गौशाला में परिबद्ध किये गये पशुओं और गौशाला में मरने वाले पशुओं अर्थात कुल 165 पशुओं का मूल्य 4,26,700 रुपये निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा किया गया मूल्य निर्धारण कम है। याचिकाकर्ता दिनांक 28.12.2003 से अपने पशुधन से वंचित हैं। याचिकाकर्तागण गरीब व्यापारी हैं, जो क्षेत्र के पशु बाजार में व्यक्तिगत रूप से जाकर पशुओं की खरीद-बिक्री करके अपनी आजीविका चलाते हैं और पुलिस अधिकारियों/जिला प्रशासन, उत्तरदाता क्रमांक-7 और अन्य ग्रामीणों द्वारा किये गये चूक और कृत्य के कारण वे पिछले साढ़े चार वर्षों से अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं और उनके परिवार के सदस्य भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं जबकि, जिन बदमाशों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा याचिकाकर्तागण के पशुओं का लूट कारित किया गया है, उनके द्वारा पशुओं का उपयोग उनके निजी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और इस बीच, याचिकाकर्तागण के कई पशु जो ग्रामीणों/पुलिस अधिकारियों के कब्जे में में थे, उनकी मृत्यु हो गई इसलिए याचिकाकर्तागण उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। पुलिस ने याचिकाकर्तागण की शिकायत पर कोई जाँच नहीं किया और बदमाशों के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं किया । इन परिस्थितियों में, उत्तरदातागण को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपराध की स्वतंत्र जाँच करें। उत्तरदाता क्रमांक-7, अन्य ग्रामीणों और राज्य के अधिकारियों, जिन्होंने बदमाशों के साथ मिलीभगत किया और जिन्होंने अपनी मिलीभगत और निष्क्रियता एवं उदासीनता से अपराध कारित करने में सहायता किया, उन्हें अभियोजित किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान उप-महाधिवक्ता श्री हरित ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्तागण यह साबित नहीं कर पाए हैं कि वे प्रश्नगत 255 बैलों के वास्तविक स्वामी हैं। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ग्रामीणों ने बैलों को याचिकाकर्तागण के सहमति के बिना बल प्रयोग करके उनके कब्जे से छीना था। याचिकाकर्ता क्रमांक- 1 को छोड़कर, अन्य सात याचिकाकर्तागण द्वारा याचिका के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में, याचिकाकर्ता क्रमांक- 2 से 8 के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान याचिका प्रस्तुत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। लूट का अपराध, यदि कोई हुआ है, तो वह 28 और 29 दिसंबर, 2003

की दरमियानी रात में हुआ था, जबकि, अंतरिम अभिरक्षा के लिए आवेदन दिनांक 3.1.2004 को प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्तागण द्वारा कथित लूट के संबंध में किसी भी पुलिस प्राधिकारी के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं कराया गया था। वास्तव में, याचिकाकर्तागण द्वारा स्वेच्छा से पशुओं का कब्ज़ा ग्रामीणों को दिया गया था, इसलिए उनके विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। यह विवाद पूर्ण से सिविल प्रकृति का है जिसमें मवेशियों के स्वामित्व और उनकी पहचान सहित कई विवादित तथ्य संबंधी प्रश्न शामिल हैं। घटना दिसंबर, 2003 की है, जबकि याचिका दिनांक 20.3.2006 को प्रस्तुत किया गया है, अर्थात घटना की तारीख से दो वर्ष से अधिक समय बाद, इस प्रकार याचिका प्रस्तुत करने में विलंब और उपेक्षा कारित किया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि पुलिस ने याचिकाकर्तागण को 28 और 29 दिसंबर, 2003 की रात से 3 जनवरी, 2004 तक अवैध रूप से निरुद्ध करके रखा था। याचिकाकर्तागण के विरुद्ध अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था और अंतिम प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। याचिकाकर्तागण द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे उन मामलों से संबंधित हैं जिनमें जीवन की हानि, अभिरक्षा में मृत्यु या किसी नागरिक को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दोषपूर्ण रूप से वंचित किया गया हो, जहाँ क्षतिपूर्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, पशुओं की हानि के लिए याचिकाकर्तागण को क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि राज्य, सरकार द्वारा सौंपे गए वैधानिक कार्यों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के कार्यान्वयन और प्रयोग के दौरान लोक सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्य पूर्ण कृत्य के संबंध में दायित्व से मुक्त है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है।

15. उत्तरदाता क्रमांक-7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री सिंघई ने भी यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण का पशुओं पर स्वामित्व अत्यधिक विवादित है। याचिकाकर्ता गण अपने रिश्तेदारों के माध्यम से पशुओं को बूचड़खाने ले जा रहे थे। परन्तु ग्रामीणों ने धार्मिक भावनाओं, मवेशियों की सुरक्षा और उनके रखरखाव के उद्देश्य से पशुओं को उनसे ले लिया और उन्हें आपस में बाँट लिया। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को भी दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल द्वारा भी इसी प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया गया ।

17. न्यायालय की सहायता के लिए अधिवक्ता सुश्री काजल मिश्रा को न्याय मित्र नियुक्त किया गया। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद, न्यायमित्र द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

- इस बात पर कोई विवाद या मतभेद नहीं है कि पशुओं को याचिकाकर्तागण की अभिरक्षा से जब्त किया गया था और उत्तरदाता क्रमांक- 6 थाना प्रभारी, थाना रामानुजनगर की इसमें सकारात्मक भूमिका थी।

▪ पुलिस द्वारा अधिनियम की धारा 11 (क) के तहत अपराध दर्ज करने के बाद कोई जांच नहीं किया गया। जब्ती स्पष्ट रूप से अवैध प्रतीत होती है।

▪ उत्तरदातागण द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदनों से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि वे ग्रामीणों से 165 पशुओं का पता लगाने में सक्षम रहे और उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 ने यह भी स्वीकार किया है कि वे याचिकाकर्तागण को पशुओं का कब्ज़ा सौंपना चाहते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• ज़ब्ती अवैध रूप से कारित किया गया है ज़ब्ती के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। कई बैलों की मृत्यु के संबंध में भी स्वीकारोक्ति है तथा याचिकाकर्तागण इस मृत्यु के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। राज्य और उसके पदाधिकारियों का दायित्व है कि वे ज़ब्त किए गए पशुओं का कब्ज़ा सौपे, क्योंकि जसी अवैध रूप से कारित किया गया था।

• माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों का संदर्भ देते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जब्त की गई संपत्ति को वापस करना या उसका मूल्य चुकाना राज्य सरकार का वैधानिक दायित्व था। निजी नागरिक को हुए नुकसान के लिए वह मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक़दार है। यह सिद्धांत कि राज्य संप्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत से मुक्त है,

पुराना हो चुका है क्योंकि अब संप्रभुता जनता में निहित है, राज्य किसी भी प्रकार की उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकता है तथा अधिकारी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से वाद पोषणीय है, ऐसी स्थिति में यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह राज्य के विरुद्ध पोषणीय नहीं होगा।

अवैध ज़ब्ती वर्ष 2003 में कारित की गई, जबकि याचिका वर्ष 2006 में प्रस्तुत की गई, अतः याचिका प्रस्तुत करने में विलंब और उपेक्षा कारित हुई और तदनुसार,यह अनुशंसा किया गया है कि-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- यद्यपि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है इसलिए, क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित नहीं किया जा सकता, परन्तु इस स्तर पर याचिकाकर्तागण से सिविल कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कहना उचित नहीं होगा। इसलिए, पशुओं को वापस करने का निर्देश जारी किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 300-क का उल्लंघन है।
- गौशाला में रखे गए पशुओं को याचिकाकर्तागण को वापस किया जाये या वैकल्पिक रूप से पशुओं को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जा सकता है और नीलामी से प्राप्त मूल्य को याचिकाकर्तागण को दिया जाये ।
- याचिकाकर्तागण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करके उत्तरदाता क्रमांक- 3 द्वारा पशुओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और मूल्यांकन के

बाद निर्धारित राशि याचिकाकर्तागण को दी जानी चाहिए, जो विधि के तहत अनुज्ञेय किसी भी विधिक मंच के समक्ष चुनौती के अध्यधीन होगा।

- यदि याचिकाकर्तागण को पशुओं को सौंपने में ग्रामीणों द्वारा कोई विरोध किया जाता है, तब इसका निराकरण उत्तरदाता क्रमांक-3 द्वारा विधि के अनुसार किया जा सकता है।

18. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जैसा कि पूर्वगामी कंडिकाओं में पहले ही विस्तृत रूप से बताया जा चुका है और विद्वान न्यायमित्र द्वारा भी बताया गया है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना दिनाँक को उत्तरदाता क्रमांक-6 की उपस्थिति में, उत्तरदाता क्रमांक-7 के नेतृत्व में याचिकाकर्तागण के पशुओं को ग्रामीणों द्वारा ले जाया गया/लूटा गया, जिन्होंने अधिनियम की धारा 11 (क) के तहत अपराध दर्ज करने के बाद याचिकाकर्तागण को थाने ले गए और 28 और 29 दिसंबर, 2006 की दरमियानी रात से 3 जनवरी 2004 तक उन्हें निरुद्ध रखा। अंततः, इस न्यायालय के निर्देश पर पुलिस और राज्य प्राधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से 165 पशुओं को बरामद गया, जिन्हें चठिरमा गौशाला में परिरुद्ध किया गया था, जहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक केवल 86 पशु जीवित थे और शेष पशुओं की मृत्यु हो गई थी। इस

संबंध में भी प्रतिवेदन है कि याचिकाकर्तागण के शेष पशुओं की भी उस समय मृत्यु हो गई जब वे ग्रामीणों की अवैध अभिरक्षा में थे व्यक्तियों और उनकी अभिरक्षा में मरने वाले पशुओं की संख्या का विवरण, जैसा कि उत्तरदाता क्रमांक 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत किया गया, अभिलेख पर उपलब्ध है।

20. **ओल्गातेलीशी एवं अन्य बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं अन्य**[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 21, 39क, 41 और 226 के दायरे पर विचार करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 33. संविधान का अनुच्छेद 39(क), जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह प्रावधानित करता है कि राज्य, विशेषतया अपनी नीति इस प्रकार निर्देशित करेगा कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार प्राप्त हो। अनुच्छेद 41, जो एक अन्य नीति निर्देशक सिद्धांत है, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि राज्य, अपनी आर्थिक सामर्थ और विकास की सीमाओं के भीतर, बेरोजगारी और अवांछित अभाव की स्थिति में काम पाने के तथा लोक सहायता पाने के अधिकार का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद

[1] AIR 1986 SC 180

37 उपबंधित करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत,यद्यपि किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। अनुच्छेद 39(क) और 41 में निहित सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अर्थ और विषयवस्तु की समझ और निर्वचन में समान रूप से मौलिक माना जाना चाहिए। यदि राज्य पर नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन और काम करने का अधिकार प्रदान करने का दायित्व है, तो आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार की विषयवस्तु से बाहर करना सरासर अनुचित होगा। राज्य, को किसी सकारात्मक कार्यवाही द्वारा, नागरिकों को आजीविका या कार्य के पर्याप्त साधन प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसे विधि द्वारा स्थापित न्यायसंगत और निष्पक्ष प्रक्रिया के अलावा, आजीविका के अधिकार से वंचित किया जाता है, वह इस वंचना को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए चुनौती दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने इस तर्क के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा *इनरी संत राम* मामले में दिए गए निर्णय

पर पूर्ण रूप से भरोसा जताया है कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल नहीं है। उच्चतम न्यायालय के नियम 24 के अनुसार रजिस्ट्रार को उन व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करने का अधिकार है जो आदतन दलाल के रूप में कार्य करते पाए गए हैं। रजिस्ट्रार ने अपीलार्थी और एक अन्य व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके नाम दलालों की सूची में शामिल किया जाये। अपीलार्थी ने उस नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि दलालों की सूची में उसका नाम शामिल होने से उसे आजीविका के अधिकार जो जीवन के अधिकार में शामिल है,से वंचित कर दिया गया था,। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 की भाषा को इस तर्क के समर्थन में बल नहीं दिया जा सकता कि अनुच्छेद 21 में "जीवन" शब्द में "आजीविका" भी शामिल है। यह निर्णय अलग है क्योंकि संविधान के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी अपमानजनक व्यवसाय या घृणित व्यापार या व्यवसाय, जैसे दलाली, जुआ या वेश्यावृत्ति से होने वाले लाभ पर जीवनयापन करके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आजीविका के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। हमारे समक्ष याचिकाकर्ता किसी भी अवैध, अनैतिक या जनहित के विपरीत गतिविधि करने के उद्देश्य से फुटपाथों या झुग्गियों में रहने के अधिकार का दावा नहीं करते हैं। उनमें से कई ऐसे व्यवसाय करते हैं जो विनम्र लेकिन सम्मानजनक हैं।"

21. **चेयरमैन, इंदौर विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम प्योर इंडस्ट्रियल कोक एंड केमिकल्स लिमिटेड**[2] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"मानवाधिकार मुद्दा:-

53. संपत्ति के अधिकार को अब न केवल एक संवैधानिक अधिकार माना जाता है, बल्कि एक मानव अधिकार भी माना जाता है।

54. मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा 26-8-1789 में, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कहा गया है:

"17. चूँकि संपत्ति का अधिकार अनुल्लंघनीय और पवित्र है,किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि

[2]. 2007(8) SCC 705

सुनिश्चित सार्वजनिक आवश्यकता, स्पष्ट रूप से इसकी मांग न करे और उचित एवं पूर्व क्षतिपूर्ति का भुगतान न किया गया हो।"

इसके अलावा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, जिसे 10-12-1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में अपनाया गया था, यह कहा गया है कि; (i) प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और साथ ही दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है। (ii) किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

55. पहले मानवाधिकारों का तात्पर्य व्यक्ति के स्वास्थ्य, आजीविका, आश्रय और रोज़गार आदि के अधिकार से था, लेकिन अब मानवाधिकारों ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया है। अब संपत्ति के अधिकार भी मानवाधिकारों की परिभाषा में शामिल हो गया हैं। यहाँ तक कि प्रतिकूल कब्ज़े के दावे को भी मानवाधिकारों के अनुरूप ही पढ़ा जाना चाहिए। जैसा कि राष्ट्रपति जॉन एडम्स (1797-1801) ने कहा था;

"संपत्ति निश्चित रूप से मानव जाति का उतना ही वास्तविक अधिकार है जितना कि स्वतंत्रता।"

उन्होंने आगे कहा,

"जिस क्षण समाज में यह विचार स्वीकार किया जाता है कि संपत्ति ईश्वर के नियमों जितनी पवित्र नहीं है, और इसकी रक्षा के लिए कोई प्रवर्तनीय विधि और सार्वजनिक न्याय नहीं है, अराजकता और अत्याचार शुरू हो जाता है।"

56. संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार न रहते हुए भी, उसे एक विधिक अधिकार के रूप में स्पष्ट मान्यता दिया जायेगा, और यह प्रावधान किया जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. **<u>हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अनंत भट्टाचार्य एवं अन्य</u>**[3] के मामले में यह कहा गया है कि "क्षतिपूर्ति के लिए लोक विधि उपचार सीमित है और इसका सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, अन्यथा नहीं। संविधान या विधि के प्रावधानों का हर उल्लंघन न्यायालय को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश देने हेतु सक्षम नहीं बनाता।"

23. **<u>ए.के. बिंदल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य</u>**[4] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान है कि किसी भी

[3] . (2004)6 SCC 213
[4] . (2003) 5 SCC 163

व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। इस अनुच्छेद के क्षेत्र और विषय-वस्तु का न्यायिक निर्णयों द्वारा विस्तार किया गया है। इस अनुच्छेद में निहित जीवन के अधिकार का अर्थ जीवित रहने या पशुवत अस्तित्व से कहीं अधिक है। इसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। लेकिन यह मानना कि वेतनमान में संशोधन न करना भी अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा जो इसे बहुत लचीला बनायेगा तथा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. हालाँकि, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इस मामले में पुलिस अधिकारियों और कुछ उपद्रवियों (बदमाशों) के समूह, जो कथित तौर पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्य थे ,के द्वारा किए गए कृत्यों और लोप के कारण, याचिकाकर्तागण को 4 वर्षों की अवधि के लिए उनकी आजीविका के साधनों से वंचित कर दिया गया था और इस प्रकार, यह संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिए, इस न्यायालय का मत है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रस्तुत इस याचिका में क्षतिपूर्ति प्रदान करने में कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान मामले के तथ्य हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड[3] और ए.के. बिंदल[4] के मामलों में उल्लिखित तथ्यों से भिन्न हैं।

25. **गुजरात राज्य बनाम मेमन मोहम्मद हाजी हासम** [5] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती**[6] और **कस्तूरी लाल रलिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[7] के मामले में दिए गए निर्णयों से भिन्न निर्णय देते हुए अभिनिर्धारित किया कि "यदि राज्य सरकार अपने स्वयं के कृत्य या अपने अभिकर्ताओं या कर्मचारियों के किसी कृत्य के कारण जब्त की गई संपत्ति को वापस करने में असमर्थ रहती है, तो अपने वैधानिक दायित्व के तहत, जब्त की गई संपत्ति के मूल्य का भुगतान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. **बसावा कोम द्यामोगौड़ा पाटिल (श्रीमती) बनाम मैसूर राज्य एवं अन्य**[8] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:-

> "6. यह सर्वमान्य है कि ये वस्तुएँ शिकायतकर्ता/अपीलार्थी की थीं और उनके घर से चुराई गई थीं। अतः, यह स्पष्ट है कि ये वस्तुएँ अपराध का विषय थीं। यह तथ्य, इसलिए, मजिस्ट्रेट को संपत्ति वापस करने का आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। जहाँ संपत्ति चोरी हो जाती है, खो जाती है या नष्ट हो जाती है और प्रथम दृष्टया ऐसा कोई बचाव नहीं मिलता है कि राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित सावधानी और सतर्कता बरता गया था, तो मजिस्ट्रेट, किसी उपयुक्त मामले में, जहाँ न्याय की आवश्यकता हो,

[5] AIR 1967 SC1885
[6] . AIR 1962 SC 933
[7] . AIR 1965 SC 1039
[8] AIR1977 SC 1749

संपत्ति के मूल्य का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। हम उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि एक बार जब ये वस्तुएं न्यायालय के पास उपलब्ध नहीं होतीं, तो न्यायालय के पास ऐसे मामले में कुछ भी करने का कोई अधिकार नहीं होता और वह पूरी तरह से असहाय होता है।

.....इसलिए, इस मामले में लागू होने वाला सही सिद्धांत यह पता लगाना होगा कि क्या ऐसी कोई सामग्री है जो यह दर्शित कर सके कि पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से वास्तव में जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य क्या है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, राज्य द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया कि संपत्ति उसके द्वारा सम्यक सतर्कता एवं सावधानी बरतने के बावजूद या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण खो गई। दूसरी ओर, जबकि सभी वस्तुएं थाने के गार्डरूम में रखे ट्रंक से चोरी हो गई थीं,रिपोर्ट दर्ज करने की औपचारिकता के अलावा, राज्य द्वारा आज तक उप-निरीक्षक या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार थे।"

27. **<u>एन. नागेन्द्र राव एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य</u>**[9] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया;-

[9] AIR 1994 SC 2663

"....कोई भी सभ्य व्यवस्था किसी कार्यपालिका को उसके देश के लोगों के साथ खेलने और यह दावा करने की अनुमति नहीं दे सकती कि संप्रभु होने के नाते वह किसी भी तरह से कार्य करने का हकदार है। समाज में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ जनहित की अवधारणा भी बदल गई है। आज कोई भी विधिक या राजनीतिक व्यवस्था राज्य को विधि से ऊपर नहीं रख सकती क्योंकि किसी नागरिक को राज्य के अधिकारियों की लापरवाही से बिना किसी उपाय के उसकी संपत्ति से अवैध रूप से वंचित करना अन्यायपूर्ण और अनुचित है। एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में राज्य की ईमानदारी, दक्षता और गरिमा, जिसे उन्नीसवीं शताब्दी में राज्य प्रतिरक्षा के लिए एक ठोस समाजशास्त्रीय आधार के रूप में प्रतिपादित किया गया था, परन्तु अब बदल गया है और अब स्वतंत्रता, समानता और विधि के शासन पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रगतिशील समाजों की आधुनिक सामाजिक सोच और न्यायिक दृष्टिकोण पुरातन राज्य संरक्षण को समाप्त करने और राज्य या सरकार को किसी भी अन्य न्यायिक इकाई के बराबर रखने का है। किसी भी तरह का निर्विवाद विभाजन राज्य के कार्यों को "संप्रभु और गैर-संप्रभु" या "सरकारी और गैर-सरकारी" के रूप में परिभाषित करना उचित नहीं है। यह आधुनिक न्यायशास्त्रीय सोच के विपरीत है। राज्य के पास असाधारण शक्तियाँ होनी चाहिए इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन समाज और लोगों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हित में वैधानिक शक्ति के वैधानिक कर्तव्य होने के वैचारिक परिवर्तन के साथ, एक आम आदमी या साधारण नागरिक के दावे को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राज्य के किसी अधिकारी द्वारा किया गया था, भले ही वह विधि के विरुद्ध और लापरवाही से किया गया हो। राज्य की आवश्यकताओं, उसके अधिकारियों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है ताकि कल्याणकारी राज्य में विधि का शासन न डगमगाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कल्याणकारी राज्य में, राज्य का कृत्य केवल देश की रक्षा या न्याय प्रशासन या कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं हैं, बल्कि यह लगभग हर क्षेत्र, शैक्षिक, वाणिज्यिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि वैवाहिक क्षेत्र, में लोगों की गतिविधियों को विनियमित और नियंत्रित करने तक भी विस्तारित है। संप्रभु और गैर-संप्रभु शक्तियों के बीच की सीमा रेखा, जिसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, काफी हद तक गायब हो गई है। इसलिए, न्याय प्रशासन, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अपराध दमन आदि जैसे कार्यों को छोड़कर, जो एक संवैधानिक सरकार के प्राथमिक और अविभाज्य कार्यों में से हैं, राज्य किसी भी प्रकार की छूट का दावा नहीं कर सकता।"

28. **<u>चेयरमेन रेलवे बोर्ड एवं अन्य बनाम चंद्रिमा दास</u>**[10] के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध उसे क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज करते हुए कि बलात्कार रेलवे के कर्मचारियों द्वारा किया गया था और सरकार को प्रतिनिधिक रूप से दायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अपकृत्य विधि के तहत उत्तरदायित्व तभी उत्पन्न होगा जब घटना जिसके सम्बन्ध में शिकायत किया गया है, आधिकारिक कर्तव्य के दौरान कारित किया गया हो और चूँकि बलात्कार को आधिकारिक कृत्य नहीं कहा जा सकता, इसलिए केंद्र सरकार अपकृत्य विधि के तहत भी उत्तरदायी नहीं होगा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह तर्क पूरी तरह से गलत है और इस न्यायालय द्वारा प्रतिनिधिक दायित्व के प्रश्न दिये गये विभिन्न निर्णयों में सुस्थापित विधि के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है।

29. **<u>श्रीमती नीलाबती बेहरा उर्फ ललिता बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य</u>**[11] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

> "मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक विधि में 'क्षतिपूर्ति का दावा', जिनके संरक्षण की गारंटी संविधान में दी गई है,ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए एक स्वीकृत उपचार है, और कठोर दायित्व पर आधारित ऐसा दावा किसी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक उपचारों का सहारा लेकर किया जाता है, वह

[10] AIR 2000 SC 988
[11] AIR 1993SC 1960

मौलिक अधिकार के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले अपकृत्य के लिए निजी विधि में क्षतिपूर्ति के उपाय से अलग और उसके अतिरिक्त है। संप्रभु प्रतिरक्षा का बचाव लागू न होने और मौलिक अधिकारों की गारंटी की अवधारणा से अलग होने के कारण, संवैधानिक उपाय में ऐसे बचाव के उपलब्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यही सिद्धांत है जो संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति के प्रावधान को उचित ठहराता है, राज्य या उसके सेवकों द्वारा अपनी शक्तियों के कथित प्रयोग और प्रवर्तन में किए गए उल्लंघन के लिए निवारण का यही एकमात्र व्यावहारिक तरीका उपलब्ध है। मौलिक अधिकार का दावा लोक विधि में संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के रूप में उपलब्ध उपचार का सहारा लेकर किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों का परीक्षण करें, तब हम पाते हैं कि उत्तरदाता क्रमांक-7 की शिकायत पर, उत्तरदाता क्रमांक- 6-थाना प्रभारी, थाना रामानुजनगर ने दिनांक 28/29-12-2003 की दरमियानी रात में याचिकाकर्तागण के विरुद्ध अधिनियम की धारा 11(क) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया और याचिकाकर्तागण को दिनांक 3.1.2004 तक थाने में निरुद्ध रखा। घटना की रात उत्तरदाता क्रमांक-7 और अन्य ग्रामीण, जिनकी संख्या 250 से 260 थी, उस स्थान पर एकत्रित हुए

जहाँ याचिकाकर्ता गण अपने पशुओं के साथ आराम कर रहे थे। वे नारे लगा रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि याचिकाकर्तागण पशुओं को बूचड़खाने ले जा रहे हैं। उत्तरदाता क्रमांक-6 की सक्रिय मिलीभगत से वे पशुओं को वहां से ले गये। अपराध दर्ज होने के बाद भी, पुलिस ने पशुओं को जो अपराध की विषय वस्तु थे, को जब्त करने का कोई प्रयास नहीं किया, इसके विपरीत, पुलिस द्वारा बदमाशों को याचिकाकर्तागण के पशुओं को अपने कब्जे में लेने की अनुमति दी गई और याचिकाकर्तागण को दिनांक 3.1.2004 तक थाने में अवैध रूप से निरुद्ध रखा गया। चूँकि अपराध दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने पशुओं को जब्त नहीं किया था, इसलिए संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्तागण की ओर से अंतरिम अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्तागण द्वारा उनके मवेशियों को सूरजपुर तहसील में बेचने की अनुमति हेतु आवेदन किया गया और जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार, अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर द्वारा उन्हें अनुमति प्रदान किया गया। हालाँकि, पुलिस अधिकारियों की इच्छाशक्ति की कमी के कारण इस आदेश का पालन नहीं किया जा सका, क्योंकि याचिकाकर्तागण के पशुओं को अवैध रूप से रखने वाले व्यक्ति सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली व्यक्ति थे, जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने स्वयं स्वीकार किया है। याचिकाकर्तागण को उनके पशुओं की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. जहाँ तक उत्तरदाता/राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क कि याचिकाकर्तागण द्वारा लूट सम्बन्धी कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गई, का संबंध है यह मान भी लिया जाये कि याचिकाकर्तागण ने पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराया, तथ्य यह है कि शिकायत उत्तरदाता क्रमांक-7 द्वारा दर्ज कराई गई थी और पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि वे उस शिकायत के आधार पर मामले की निष्पक्ष जाँच और जप्ती की कार्यवाही करें। चूँकि उत्तरदातागण ने यह स्वीकार किया है कि उचित जाँच के बाद वे इस बात से संतुष्ट थे कि याचिकाकर्तागण द्वारा पशु विधिवत रूप से पेंड्रा से खरीदे गए थे, याचिकाकर्तागण से जब्त किए गए पशु स्वस्थ पाये गये थे और याचिकाकर्तागण द्वारा अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था, इसलिए पुलिस अधिकारियों का यह दायित्व था कि वे सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्तागण के पशु उन्हें तुरंत वापस किये जाये और उनका यह भी कर्तव्य था कि वे बदमाशों के खिलाफ अपराध दर्ज करे परन्तु, पुलिस द्वारा बदमाशों के खिलाफ न तो कोई कार्यवाही किया गया और न ही पशुओं को तब तक बरामद किया जब तक कि इस न्यायालय ने उन्हें याचिकाकर्तागण को पशुओं का कब्जा वापस करने का निर्देश नहीं दिया। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.9.2007 को दिए गए विशिष्ट निर्देश के बाद भी, तीन महीने से अधिक समय तक उसका पालन नहीं किया गया और अंततः जब इस न्यायालय को पुलिस अधीक्षक सूरजपुर पर 5,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित करने हेतु बाध्य होना पड़ा, तब 165 पशुओं को दो सप्ताह की अवधि में, केवल तीन दिनों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में, अर्थात 28 से 30 दिसंबर, 2007 तक बरामद कर लिया गया। यह तथ्य दर्शाता है कि पुलिस/जिला प्रशासन ने याचिकाकर्तागण की शिकायत पर केवल इसलिए कोई कार्यवाही नहीं किया क्योंकि वे व्यक्ति जो याचिकाकर्तागण के पशुओं को ले जाने के अवैध कृत्य में शामिल थे, सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे।

32. धार्मिक भावनाओं को उपद्रवियों द्वारा कानून हाथ में लेने और समाज के किसी सदस्य के शांतिपूर्ण कार्य में हस्तक्षेप करने और इस प्रकार उन्हें उनकी संपत्ति और आजीविका के साधनों से वंचित करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पशुओं को उनके वास्तविक स्वामी अर्थात याचिकाकर्तागण को वापस करने हेतु पिछले चार वर्षों में राज्य/जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। पुलिस अधिकारियों और उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 की ओर से प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी चार वर्षों की अवधि तक अपने स्वयं के आदेश को क्रियान्वित कराने में खुद को असहाय पाते रहे क्योंकि वे इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशिष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्तागण को पशु वापस नहीं कर सके। राज्य के लिए यह तर्क देना उचित नहीं है कि वर्तमान याचिका दो वर्ष से अधिक समय बाद प्रस्तुत किया गया था, इस प्रकार, यह विलंब और उपेक्षा से प्रभावित है। इस स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्तागण के विरुद्ध अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का कोई साक्ष्य नहीं था और अधिकारी याचिकाकर्तागण को पशु वापस करना चाहते थे, परंतु वे निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहे,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण के लिए यह उम्मीद करने का पर्याप्त औचित्य था कि पुलिस अधिकारियों / जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से उन्हें उनके पशु वापस मिल जाएँगे और अंततः जब वे अपने प्रयास में विफल रहे, तब यह याचिका प्रस्तुत किया गया।

33. उत्तरदातागण द्वारा दिए गए अन्य तर्क कि याचिकाकर्तागण यह स्थापित करने में असफल रहे हैं कि वे पशुओं के स्वामी हैं अथवा ग्रामीणों द्वारा पशुओं को बल पूर्वक ले जाया जा रहा था, भी निराधार हैं। जैसा कि पूर्वगामी कंडिकाओं में पहले ही कहा जा चुका है कि उत्तरदाता क्रमांक-1 से 5 के प्रकथनो, उत्तरदातागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और उत्तरदाता क्रमांक-7 तथा हस्तक्षेपकर्ता की स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि राज्य ने कभी भी इस बात पर विवाद नहीं किया कि याचिकाकर्तागण पशुओं के स्वामी थे, वास्तव में, वे पशुओं को याचिकाकर्तागण को वापस करना चाहते थे। यह भी विवादित नहीं है कि उत्तरदाता क्रमांक-7 और उनके अनुयायियों ने अपने जबाब में स्वीकार किया है कि वे पशुओं की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए उन्हें अपने साथ ले गये थे और उन्हें आपस में बांट दिया था और अभिलेखों में यह साक्ष्य भी उपलब्ध हैं कि जब राज्य के अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्तागण को पशुओं का कब्ज़ा वापस दिलाने की कोशिश की गई, तब उन्हें विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. उपरोक्त कारणों से, यह माना गया है कि घटना दिनांक को याचिकाकर्तागण के पशुओं जिनकी संख्या 255 थी, को उत्तरदाता क्रमांक- 6-थाना प्रभारी, थाना रामानुजनगर

की उपस्थिति में, उत्तरदाता क्रमांक-7 के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा रात में बलपूर्वक ले जाया गया और अधिनियम की धारा 11(क) के तहत अपराध दर्ज करने के बाद उत्तरदाता क्रमांक-6 द्वारा याचिकाकर्तागण को अवैध रूप से निरुद्ध रखा गया। पुलिस अधिकारियों/जिला प्रशासन की निष्क्रियता और उदासीनता के कारण, याचिकाकर्तागण के पशु जिन्हें अवैध रूप से जब्त किया गया था, चार साल बाद भी उन्हें वापस नहीं किए जा सके और इस प्रकार राज्य अपने अधिकारियों के कृत्यों के लिए प्रतिनिधिक रूप रूप से उत्तरदायी है। आगे यह भी माना गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह भी ध्यान में रखते हुए कि गरीब पशु व्यापारी पिछले चार वर्षों से भी अधिक समय से अपने पशुओं, जिन्हें उत्तरदाता क्रमांक- 6 की सक्रिय मिलीभगत से अवैध रूप से जब्त कर लिया गया था, की अभिरक्षा पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं और बड़ी संख्या में पशुओं से वंचित करके, याचिकाकर्तागण को उनके आजीविका के अधिकार से वंचित किया गया है क्योंकि पशु व्यापार याचिकाकर्तागण की आजीविका का साधन है, इस कारण याचिकाकर्तागण उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. जैसा कि पूर्वगामी कंडिका में पहले ही बताया जा चुका है कि उन पशुओं को, जिन्हें पुलिस ने ग्रामीणों से बरामद किया था और चठिरमा स्थित गौशाला में जमा किया था, के मूल्य का आंकलन करने लिए उत्तरदातागण द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा जिस दिन जाँच किया गया उस दिन, 165 पशुओं में से

केवल 86 पशु जीवित थे और शेष 79 पशु मृत बताये गए थे। अभिलेखों पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी विवादित नहीं है कि 255 पशुओं में से केवल 165 जीवित बचे थे, 15-16 मवेशियों को पुलिस की सहायता से याचिकाकर्तागण को वापस कर दिया गया था और शेष पशुओं की मृत्यु ग्रामीणों की अवैध अभिरक्षा में रहने के दौरान हो गई। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्तागण को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति की गणना राज्य द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 30.3.2008 के अनुसार किया जावें।

36. तदनुसार, यह न्यायालय उत्तरदाता छत्तीसगढ़ राज्य को निर्देशित करता है कि वे उन पशुओं के सम्बन्ध में जो राज्य द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 30.3.2008 के अनुसार याचिकाकर्तागण को वापस नहीं किए जा सके, आज से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्तागण को प्रति पशु 2,600/- रुपये की दर से क्षतिपूर्ति प्रदान करे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा बरामद किए गए पशु जिनकी संख्या 86 है, को याचिककर्तागण को वापस करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद वे याचिककर्तागण के किसी काम के नहीं होंगे इसलिए, यह भी निर्देश दिया जाता है कि पुलिस की अभिरक्षा में मौजूद जीवित पशुओं, जो वर्तमान में चठिरमा स्थित गौशाला में हैं, की नीलामी की जाए और नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग याचिकाकर्तागण को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए किया जाए।

38. यह स्पष्ट किया जाता है क्षतिपूर्ति का प्रदान किया जाना, उसी आधार पर स्वतंत्र विधिक कार्यवाही शुरू करके उचित क्षतिपूर्ति का दावा करने के याचिकाकर्तागण के

अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यद्यपि, यदि याचिकाकर्तागण द्वारा उसी आधार पर क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू किया जाता हैं, तो याचिकाकर्तागण को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि समायोजित किया जावें।

39. यह भी अपेक्षित है कि छत्तीसगढ़ राज्य इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र जांच कराएगा और याचिकाकर्तागण के पशुओं को अवैध रूप से ले जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का दायित्व तय करेगा और उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए अभियोजन सहित उपलब्ध समस्त समुचित कार्यवाही भी करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. इस मामले को समाप्त करने से पहले, यह न्यायालय न्यायमित्र सुश्री काजल मिश्रा द्वारा प्रदान किये गये बहुमूल्य सहयोग को स्वीकार करता है और उसकी सराहना करता है।

41. तदनुसार, रिट याचिका उपरोक्त शर्तों के आधार पर स्वीकार की जाती है।

सही/-

(धीरेन्द्र मिश्रा)

न्यायाधीश

अनुवादकर्ता - उत्तरा श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur